भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2598

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

अवकाश पर्यटन को बढ़ावा देना

2598. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर व्यावसायिक यात्रा के विपरीत अवकाश पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी आई है और यदि हां, तो इन प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा महामारी के बाद, विशेषकर वर्ष 2021 से देश में अवकाश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है और इन प्रयासों के परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पर्यटन वृद्धि के संदर्भ में इन लक्ष्यों की तुलना एशियाई औसत से किस प्रकार की जाती है; और

(ङ) आगामी पांच वर्षों में देश में पर्यटकों के आगमन के लक्षित अनुमानों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस वृद्धि को सहायता प्रदान करने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी पहल की योजना बनाई गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): आप्रवासन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में 9.52 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) दर्ज हुए, जो वर्ष 2022 की तुलना में 47.9% की वृद्धि को दर्शाते हैं वर्ष 2022 की तुलना में 86.96% की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2023 में लीशर, अवकाश और मनोरंजन के लिए एफटीए की संख्या 4.40 मिलियन थी। इसी तरह, व्यापार और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एफटीए 2023 में 0.98 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49.66% की वृद्धि को दर्शाते हैं।

एफटीए महामारी-पूर्व के 87.1% के स्तर तक पहुंच गया है, जो 88.8% की वैश्विक रिकवरी दर के काफी निकट हैं एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 65.4% की रिकवरी दर को पार कर गए हैं।

विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) में हुई वृद्धि मुख्य रूप से महामारी के बाद वैश्विक यात्रा की पुनर्बहाली और विविध एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गंतव्य के रूप में भारत के प्रति बढ़ते विश्वास का परिणाम है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी ने प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच में सुधार किया है, जबकि पर्यटन अवसंरचना के निरंतर विकास ने आगंतुक अनुभव को बेहतर बनाया है। इसके अतिरिक्त, लक्षित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन अभियानों ने भारत की वैश्विक अपील को मजबूत किया है, जिससे यह दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विगत वर्षों में अनेक कदम उठाए/पहलें की हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- पर्यटन मंत्रालय देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- पर्यटन मंत्रालय अपने विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है। इनमें से कुछ पहल-देखो अपना देश अभियान, चलो इंडिया अभियान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, भारत पर्व हैं।
- अतुल्य भारत सामग्री हब लॉन्च किया गया जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट-www.incredibleindia.org और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।
- अन्य विशिष्ट थीमों में निरोगता पर्यटन, पाक पर्यटन, ग्रामीण, इको-पर्यटन आदि जैसे विषयगत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्यटन के दायरे को अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा सके।
- क्षमता निर्माण, 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' जैसे कौशल विकास, 'अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता' (आईआईटीएफ), 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' पर केंद्रित पहलों के माध्यम से आगंतुक अनुभव और समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना।
- महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए हवाई संपर्क में सुधार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ उनकी आरसीएस-उड़ान योजना के तहत सहयोग किया है। अब तक, 53 पर्यटन मार्गों को प्रचालित किया जा चुका है।

- ई-वीजा योजना अब 167 देशों के लिए उपलब्ध है और यह 9 उप-श्रेणियों में उपलब्ध है:
    i. ई-टूरिस्ट वीजा
    ii. ई-बिजनेस वीजा
    iii. ई-मेडिकल वीजा
    iv. ई-कॉन्फ्रेंस वीजा
    v. ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा
    vi. ई-आयुष वीजा
    vii. ई-आयुष अटेंडेंट वीजा
    viii. ई- स्टूडेंट वीजा
    ix. ई- स्टूडेंट एक्स वीजा

*****